

# कृषि निदेशालय, बिहार।

कार्यालय आदेश।

का0आ0-01/स्थांस्थानां-35/2015-

कृ0, पटना, दिनांक

2018

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक-1889 दिनांक 18.07.2018 द्वारा विज्ञापन संख्या-07070114 के तहत अनुशंसित कुल 24 (चौबीस) सफल अभ्यर्थियों में से 22 (बाईस) अभ्यर्थियों को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-932 दिनांक 24.11.2018 एवं ज्ञापांक-965 दिनांक 27.11.2018 द्वारा निरीक्षक माप एवं तौल के पद पर वेतनमान वेतन स्तर-07 में नियुक्ति किये जाने के उपरान्त 14 (चौदह) नवनियुक्त निरीक्षक माप एवं तौल द्वारा योगदान करने के पश्चात् इन 14 (चौदह) कर्मियों को निरीक्षक माप एवं तौल के पद पर विभागीय पत्रांक-993 दिनांक 07.12.2018 द्वारा पदस्थापित किये जाने के उपरान्त इन नवनियुक्त/पदस्थापित निरीक्षक, माप एवं तौल को उनके पद के बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कराने के लिए उन्हें दिनांक-11.12.2018 से 29.03.2019 तक की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (**Director, Indian Institute Of Legal Metrology**) कॉम्पे, रॉची में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम/कार्यालय का नाम
1	2	3
1	श्री मनोरंजन कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, झंझारपुर (मधुबनी)
2	श्री शशांक कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, रक्सौल, (पूर्वी चम्पारण)।
3	श्री अमित रंजन कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, बाढ (पटना)
4	श्री प्रियरंजन कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, सीतामढ़ी
5	श्री सुधीर कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, शेरघाटी (गया)।
6	श्री कुमार देवेन्द्र मदनपुरी	निरीक्षक, माप-तौल, गया अतिरिक्त (गया)
7	श्री धनंजय प्रसाद	निरीक्षक, माप-तौल, समस्तीपुर अतिरिक्त (समस्तीपुर)
8	श्री रोहित कुमार	निरीक्षक, माप-तौल, बेगूसराय अतिरिक्त (बेगूसराय)।
9	सुश्री अंजली प्रियदर्शनी	निरीक्षक, माप-तौल, बिहारीशरीफ सदर (नालन्दा)
10	श्री रजनीश रंजन	निरीक्षक, माप-तौल, फारबिसगंज (अररिया)
11	श्री अजय कुमार साहा	निरीक्षक, माप-तौल, मुजफ्फरपुर पश्चिमी (मुजफ्फरपुर)
12	श्री संदीप कुमार मंडल	निरीक्षक, माप-तौल, किशनगंज
13	श्री सिद्धार्थ रौशन	निरीक्षक, माप-तौल, मुंगेर अतिरिक्त (मुंगेर)।
14	श्री दीपक कुमार दीप	निरीक्षक, माप-तौल, प्रक्षेत्रीय प्रयोगशाला, कहलगाँव, भागलपुर।

2. उपर्युक्त सभी कर्मी अपने प्रशिक्षण हेतु ससमय प्रतिनियुक्त संस्थान में निश्चित रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. इन कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त बिना किसी विलंब के अपने पदस्थापित पद/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जायगा तथा इनके योगदान करने के साथ ही उस पद के कार्यों के संपादित करने हेतु किये गये कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायगी।


3. यह आदेश तुरंत प्रवृत्त होगी।

ह0/-  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना

ज्ञापाक - ११५

कृ०, पटना, दिनांक ०७-१२-२०१८

प्रतिलिपि :- निदेशक, भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, कौंके, रॉची (झारखंड) को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
०७-१२-१८  
कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना